



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर

दिनांक – 31.12.2024

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 564/2024 धारा 103(2), 3(5), 191(2), 190, 126(2) बीएनएस व 3(2)5 एससी / एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 16.12.2024 को वादिया श्रीमती प्रकाशो देवी पत्नी स्व0 राकेश कुमार निवासी ग्राम अल्हैपुर नौरंगाबाद थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने अभियुक्तगण 1.नीरज सैनी 2.उज्जवल 3.कृष्णा 4.विशाल 5.आकाश 6.विनय 7.हन्नान के विरुद्ध वादिया के पुत्र नीरज कुमार (उम्र करीब 23 वर्ष) को कॉल करके पूर्व में हुए झगडे में फैसला करने के लिये बडवान रोड पर स्थित सेंट मेरी स्कूल के पास बुलाकर गोली मारकर नीरज की हत्या कर देने के सम्बंध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 564/24 धारा 103(2) / 3(5) / 191(2) / 190 / 126 (2) व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट बनाम नीरज सैनी आदि उपरोक्त कुल 07 नफर पंजीकृत कराया गया । थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.नीरज सैनी 2.उज्जवल 3.कृष्णा रस्तोगी 4.विनय 5.आकाश को पूर्व में ही घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल सहित गिरफ्तार किया जा चुका है ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 31.12.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अब्दुल हन्नान पुत्र मौ0 ईस्माईल निवासी किरार खेडी थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अब्दुल हन्नान पुत्र मौ0 ईस्माईल निवासी किरार खेडी थाना धामपुर जनपद बिजनौर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 570/20 धारा 379/411 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 127/2021 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 367/2021 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 371/2021 धारा 34/379/411/482 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 163/2021 धारा 379/411 भादवि थाना नहतौर जनपद बिजनौर
6. मु0अ0सं0 158/2021 धारा 34/411/413/414/420/465/468/482 भादवि थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
7. मु0अ0सं0 157/21 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
8. मु0अ0सं0 165/21 धारा4/25 आ0 एक्ट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
9. मु0अ0सं0 55/21 धारा 379/411 भादवि थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
10. मु0अ0सं0 366/2024 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
11. मु0अ0सं0 564/24 धारा 103(2)/3(5)/191(2)/190/126(2) व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट थाना धामपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री ब्रजकिशोर शर्मा थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.हे0कां0 578 अमजद खां थाना धामपुर जनपद बिजनौर



BIJNOR POLICE



माह दिसम्बर – 2024

बिजनौर पुलिस द्वारा "ऑपरेशन स्माईल" अभियान के अन्तर्गत माह दिसम्बर में

कुल – 41 गुमशुदा एवं अपहृताओं को बरामद किया गया

बिजनौर पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन स्माईल" के क्रम में माह दिसम्बर में कुल – 41 गुमशुदा एवं अपहृताओं को सकुशल बरामद किया गया। इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थानों पर पुलिस टीमों का गठन कर बरामदगी हेतु लगाया गया था, जिनके द्वारा गुमशुदा एवं अपहृताओं/अपहृतों को सकुशल बरामद किया गया है।

| क्र० सं० | थाना | मु०अ०सं० | धारा |
|----------|-------------|----------|--|
| 01 | कोतवाली शहर | 1160/24 | 137(2) बीएनएस |
| 02 | कोतवाली शहर | 458/24 | 366 भादवि |
| 03 | कोतवाली शहर | 1101/24 | 87 बीएनएस |
| 04 | हल्दौर | 254/24 | 87 बीएनएस |
| 05 | हल्दौर | 328/24 | 137(2) बीएनएस |
| 06 | हल्दौर | 337/24 | 137(2) बीएनएस |
| 07 | मण्डावर | 297/24 | 87 बीएनएस |
| 08 | मण्डावर | 313/24 | 137(2), 351(2), 65 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट |
| 09 | नजीबाबाद | 589/24 | 137(2), 351(2), 70(2), 115(2), 123 बीएनएस व धारा 5जी/6 पॉक्सो एक्ट |

| | | | |
|----|---------------|--------|---|
| 10 | नजीबाबाद | 603/24 | 137(2) बीएनएस |
| 11 | नजीबाबाद | 608/24 | 137(2) बीएनएस |
| 12 | किरतपुर | 395/24 | 87 बीएनएस |
| 13 | किरतपुर | 399/24 | 87 बीएनएस |
| 14 | किरतपुर | 409/24 | 137(2) बीएनएस |
| 15 | मण्डावली | 168/24 | 137(2) बीएनएस |
| 16 | नांगल | 163/24 | 137(2), 351(2) बीएनएस |
| 17 | नांगल | 175/24 | 87 बीएनएस |
| 18 | नांगल | 184/24 | 137(2) बीएनएस |
| 19 | चाँदपुर | 456/24 | 87 बीएनएस |
| 20 | चाँदपुर | 700/24 | 87 बीएनएस |
| 21 | नूरपुर | 445/24 | 87 बीएनएस |
| 22 | शिवालाकलॉ | 152/24 | 137(2) बीएनएस |
| 23 | नगीना | 318/24 | 363, 120बी बीएनएस |
| 24 | नगीना | 341/24 | 137(2), 61, 74 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट |
| 25 | नगीना | 350/24 | 137(2) बीएनएस |
| 26 | कोतवाली देहात | 270/24 | 137(2) बीएनएस |
| 27 | बढापुर | 238/24 | 87 बीएनएस |
| 28 | बढापुर | 248/24 | 87 बीएनएस |
| 29 | धामपुर | 511/24 | 87 बीएनएस |
| 30 | धामपुर | 550/24 | 115(2), 352, 296, 74, 87 बीएनएस |
| 31 | धामपुर | 559/24 | 137(2) बीएनएस |
| 32 | स्योहारा | 532/24 | 87, 351(3), 352 बीएनएस |
| 33 | स्योहारा | 579/24 | 87 बीएनएस |
| 34 | स्योहारा | 586/24 | 87 बीएनएस |
| 35 | अफजलगढ | 236/24 | 87 बीएनएस |
| 36 | अफजलगढ | 357/24 | 87, 351(3) बीएनएस |
| 37 | अफजलगढ | 373/24 | 87, 61(2), 351(2) बीएनएस |
| 38 | शेरकोट | 218/24 | 87, 61(2), 351(2) बीएनएस |
| 39 | शेरकोट | 221/24 | 137(2) बीएनएस |
| 40 | शेरकोट | 220/24 | 87 बीएनएस |
| 41 | रेहड | 133/24 | 137(2) बीएनएस |



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— थाना चांदपुर

दिनांक 31.12.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 652/24 धारा 64(1)/123 बीएनएस व 67 आईटी एक्ट से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 27.11.2024 को वादी ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्ता नाजिया पुत्री इन्तजार निवासी ग्राम कमालपुर थाना चांदपुर ने वादी की पुत्री को षडयंत्र रचकर अपने घर पर बुलाया तथा अभियुक्त नवीन पुत्र इंतजार ने नशीला पदार्थ पिलाया और उसके साथ दुष्कर्म कर वीडियो बनायी और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वादी द्वारा अभियुक्त नवीन के पिता इंतजार को बताने पर अभियुक्त इन्तजार ने वादी को धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर



पर मु0अ0सं0 652/24 धारा 64/123/351(3)/61(2)(बी) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 64/351(3)/61(2)(बी) बीएनएस का लोप कर धारा 64(1) की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही —

आज दिनांक 31.12.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 652/24 धारा 64(1)/123 बीएनएस व 67 आईटी एक्ट में वांछित अभियुक्त नवीन पुत्र इंतजार निवासी ग्राम कमालपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1. नवीन पुत्र इंतजार निवासी ग्राम कमालपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1—उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2—हे0का0 241 रणधीर सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

3—आरक्षी 2567 संजीव कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— थाना नूरपुर

दिनांक 31.12.2024

थाना नूरपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 481/24 धारा 65(1)/137(2) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो अधि0 से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 27.12.2024 को वादी ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 24.12.2024 को अभियुक्त मौनिश पुत्र यासीन निवासी ग्राम गौहावर जैत थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर उसके साथ गलत काम किया। तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 481/24 धारा 65(1)/137(2) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही —

आज दिनांक 31.12.2024 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त मौनिश पुत्र यासीन निवासी ग्राम गौहावर जैत थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1.मौनिश पुत्र यासीन निवासी ग्राम गौहावर जैत थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1—प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

2—उ0नि0 सुशील पंवार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

3—आरक्षी हरिओम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।